न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
रायपुर जिला भीलवाड़ा (राज०)

पीठासीन अधिकारीः—गोविन्दसिंह, आर.ए.एस.
मुकदमा नम्बरः— 116/2018 प्रार्थना पत्र

उनवान

1. कन्हैयालाल आत्मज श्रवण शर्मा (ब्राहम्ण) निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थी

बनाम

1. रामु पुत्री छोगा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नन्दलाल आत्मज पेमा भील निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. सीताराम आत्मज बालु लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. प्रेमीदेवी पत्नि भैरूलाल लुहार निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
5. हजारी आत्मज बगतावर भील निवासी सोनियाना तहसील कुम्भलगढ़ हाल पनोतिया तहसील रायपुर
6. ग्राम पंचायत नाथड़ियास तहसील रायुपर जिला भीलवाड़ा बजरिये संरपच/सचिव

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111,128 एल0आर0एक्ट

उपस्थित

1. फारूख मोहम्मद — अधिवक्ता प्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक 28.02.2019

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया पटवार नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 433 पर स्थित है। प्रमाण में नकल जमाबन्दी संवत् 2072 से 2075 तक मय नक्शा ट्रेस प्रार्थना पत्र के साथ पेश हैं। प्रार्थना पत्र की कलम न0 1 में आराजी संख्या 346 के चारों और सीमाओ के मुस्तकिल निशानात नहीं होने से प्रार्थी को कास्त करने काश्त लाभ प्राप्त करने घास आदी काटने मवेशी चराने में दरमियान आपस में बराबर सीमा संमधी विवाद बना रहता है जिससे उक्त वर्णित भुमि की पत्थरगढ़ी कराना आवश्यक हो गया है। विपक्षीगण संख्या 1 लगायत 6 प्रार्थी की उक्त आराजी के चारौ तरफ के पड़ोसी होने से उन्हे पक्षकार विपक्षीगण बनाया गया है । प्रार्थी ने विपक्षीगण को कई मर्तबा पत्थरगढ़ी कराने बाबत् कहां लेकिन विपक्षीगण हर बार टालमबाजी का जवाब देते रहे। प्रार्थी ने दिनांक 27.10.2018 को विपक्षीगण को अंतिम बार कहा लेकिन विपक्षीगण इंकार हो गये जिससे प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र पेश करना पड़ा है। बिनाय प्रार्थना पत्र दिनांक 27.10.18 को उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है। यह प्रार्थना पत्र अन्दर अवधि प्रस्तुत है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इस न्यायालय मे दिनांक 28.12.2018 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को वजह जारी करने हेतु नोटिस जारी किये गये। नोटिस की पालना मे विपक्षी संख्या 1 से 4 एवं 6 बावजुद सूचना के उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाती है। विपक्षी स0 5 के विरूद्व प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा—फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार

विपक्षी स0 5 के विरूद्व प्रार्थी के अधिवक्ता कोई कार्यवाही नही चाहते है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार की हेरा–फेरी होने का कोई अन्देशा नही है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार योग्य है। अतः

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि तहसीलदार रायपुर ग्राम पनोतिया पटवार नाथड़ियास तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थी के खातेदारी अधिकार एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 346 रकबा 1.08 हैक्ट. भूमि खाता संख्या 433 पर स्थित है। उक्त आराजी की पत्थरगढी विपक्षीगण की कब्जे काश्त की भूमि मे किसी भी प्रकार दखलंदाजी नही करते हुए बेशामलात पक्षकारान करा देवें। यदि किसी का कब्जा पाया जाता है तो कब्जा हटाने के लिये प्रार्थी सक्षम न्यायालय मे चाराजोही करे। प्रार्थी इस कार्य के लिये तहसील रायपुर मे रूपये 100/– अक्षरे एक सौ रूपये पत्थरगढी शुल्क जमा करावे एवं प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी की कमिश्नर फीस 500/– अक्षरे पांच सौ रूपये संबंधित गिरदावर हल्का को मौके पर भुगतान करना होगा। खर्चा राशि जमा होने पर तहसीलदार रायपुर विधिवत् पत्थरगढी करावे। प्रकरण निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। रजिस्टर मे दाखला अंकित किया जावें।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

गोविन्द सिंह
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा